रामजीवन बनाम सरकार
मुकदमा संख्याः–03/52/2025
निर्णय दिनांकः–15.10.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/52/2025 ऑन लाईन नम्बरः–2025/225 प्रवेश तिथिः–06.08.2025

1. रामजीवन पुत्र रामसहाय उर्फ रमशी जाति बैरवा निवासी श्रीचन्दपुरा तहसील टहला जिला अलवर।
............प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार टहला जिला अलवर ......अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री संदीप शर्मा प्रार्थी

दिनांक 15.10.2025

:–निर्णय:–

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 46 आराजी खसरा नम्बर 228/0.12, 321/0.55, 322/392/0.03, 323/373/0.09, 330/0.33, 342/0.33 कुल किता 6 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम श्रीचन्दपुरा तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता नाम **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** की जगह सहवन से **रमसी पुत्र सोन्याराम** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिताा का नाम अन्य रिकार्ड में **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का सही नाम **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/2233 दिनांक 12.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** व **रमशी पुत्र सोन्याराम** एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमावंदी में प्रार्थी के पिता का नाम **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** की जगह सहवन से रमसी पुत्र **सोन्याराम** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहरा वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 46 आराजी खसरा नम्बर 228/0.12, 321/0.55, 322/392/0.03, 323/373/0.09, 330/0.33, 342/0.33 कुल किता 6 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम श्रीचन्दपुरा तहसील टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता **रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम** की जगह सहवन से **रमसी पुत्र सोन्याराम** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2025, मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 11.09.2025 व प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 46 आराजी खसरा नम्बर 228/0.12, 321/0.55, 322/392/0.03, 323/373/0.09, 330/0.33, 342/0.33 कुल किता 6 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम श्रीचन्दपुरा तहसील टहला जिला अलवर *स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम रमसी पुत्र सोन्याराम दर्ज है उसके स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र सोन्याराम दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर
सत्यमेव जयते